(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-23/2024 dated 30.12.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(1)-23/2024

Dated Shimla-2,

30-12-2024

NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for declaration of existing areas of Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola, District Kangra as Municipal Council area in accordance with the provisions contained in section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994 (Act. No. 13 of 1994) and also to amend Schedule-I of the Act *ibid* and to declare Nagar Panchayat Baijnath-Paprola as Municipal Council Baijnath-Paprola as per second proviso to section 3(2) of the Act *ibid*, was notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-23/2024 dated 09.12.2024, which was published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 10.12.2024 for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby;

AND WHEREAS, the objections received in this regard, within the stipulated period were considered by the State Government and necessary decision was taken thereon, accordingly;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is pleased to declare the existing areas of the Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola, District Kangra, Himachal Pradesh as municipal areas from the date of publication of this Notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. Further, in exercise of the powers conferred by second proviso to section 3(2) of the Act *ibid*, the Governor Himachal Pradesh is pleased to up-grade Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola to that of the Municipal Council Baijnath Paprola and also to amend the Schedule-1 of the said Act by deleting entry of Nagar Panchayat from part-II of the Schedule and to insert it in part-1 of the schedule namely as the Municipal Council, Baijnath-Paprola.

By Order

(Ritesh Chauhan) Secretary (UD) to the Govt. of Himachal Pradesh

Copy forwarded to:-

- 1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
- 4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
- 5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9.
- 6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
- 7. The Deputy Commissioner, Kangra, H.P.
- 8. The Secretary, Nagar Panchayat Baijnath-Paprola, District Kangra, HP.

Ritesh Chauhan

Secretary (UD) to the

Govt. of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विमाग

संख्या यू०डी०-ए०(1)-23/2024

तारीख शिमला-2

30.12.2024

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू०डी०-ए०(1)-23/2024 तारीख 09.12. 2024 द्वारा नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला, जिला कांगड़ा के विद्यमान क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नगरपालिका परिषद क्षेत्र घोषित करने और पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-। में संशोधन करने तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार नगर पंचायत, बैजनाथ-पपरोला को नगरपालिका परिषद घोषित करने के प्रस्ताव को तद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी(निवासियों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप/आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसे राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 10.12. 2024 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन उनमें निहित शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत बैजनाथ—पपरोला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के विद्यमान क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र(ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत बैजनाथ—पपरोला को नगरपालिका परिषद बैजनाथ—पपरोला के रूप में दर्जा बढ़ाने (उन्नत करने) तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची—1 में संशोधन करते हुए नगर पंचायत का उल्लेख अनुसूची के भाग—II से हटाकर भाग—I में नामतः नगरपालिका परिषद बैजनाथ—पपरोला के रूप में जोड़ने का भी आदेश देते है।

आदेश द्वारा,

(रितेश चौहान) सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार

huy

पृष्ठांकन संख्याः यू०डी०–ए०(1)–23/2024 तारीख शिमला–2 30.12.2024

प्रतिलिपि को अग्रेषित किया गया है :--

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3. सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
- 4. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
- 5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 I

6. निदेशक जनगणना कार्य, शिमला।

उपायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

सचिव, नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार